

3)-1-24 पत्रावली पेश। प्राथमिक स्वयं या वकील प्राथमिक उपस्थित नहीं। प्राथमिक को बार्-
काट जोर से डाकफें लगाई गई। लेकिन प्राथमिक स्वयं या वकील प्राथमिक उपस्थित नहीं हुए।
अतः प्राथमिक का घट प्रथम पत्र अइत परती
अइत दाहिरी के इसी स्तर पर खारिज किया
जाल है पत्रावली का तारीख तकमील के
सहित इफ्त है।

निम्न लिखित कार्य शुद्ध व्यवस्था
में सुगम है।


(अभिमानिकर)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना,